

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी:- सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या:- 114/22 (18 आयुध अधिनियम 1959 ) (RCMS No.2022/118)  
रामजीलाल पुत्र श्री कुमरपाल जाति कुशवाह निवासी बलदेव का पुरा (स्तनपुर)  
थाना बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक  
10.9.2018

उपरिस्थिति:-श्री ललता प्रसाद वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक: 08.08.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.9.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक अपीलान्ट श्री रामजीलाल द्वारा अपने अनुज्ञापत्र संख्या 93/80 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 26.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहत कार्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट क्रमांक 1077 दिनांक 14.3.2017 तलब की गई जिसमें अंकित किया गया कि आवेदक के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मु0 नं0 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी में दर्ज हुआ है जिसमें चार्जशीट नम्बर 54 दिनांक 21.5.2015 में कित्ता कर चालान दिनांक 29.6.2015 को न्यायालय बाडी में पेश किया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2018 से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोंड की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का शस्त्र



५५  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीकृत था। इसको आगे नवीनीकृत कराने हेतु अपीलान्त की ओर से दिनांक 26.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा नवीनीकरण की फीस भी अदा कर दी थी, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.03.2017 को आधार बनाते हुए अपीलान्त को जारी अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की जिस रिपोर्ट दिनांक 14.03.2017 को आधार बनाया गया वह प्रकरण मारपीट से संबंधित था तथा इसमें अपीलान्त की ओर से शस्त्र का किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया था, इसके अलावा अपीलान्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण ऐसा भी नहीं था जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड हो। महज आई.पी.सी की साधारण धाराओं में दर्ज प्रकरण के आधार पर ही अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है, जो कि गलत है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्त की ओर से अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य सही अंकित किए थे। इसके अलावा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी थाना बसेडी के प्रकरण में सक्षम न्यायालय से राजीनामा के आधार पर संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है। अतः इस आधार पर निरस्त किए गए अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना आवश्यक है। अपीलान्त अपने अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराते समय कलक्टर के कार्यालय में गया था उस समय अपीलान्त को कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कह दिया गया था कि आपके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज है उसका निस्तारण होने के बाद ही आपके अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जायेगा इस कारण से अपीलान्त अपने घर बैठ गया था। अपीलान्त की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2018 पारित किया गया है, जिसकी अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्त के विरुद्ध दर्ज मुकदमा का निस्तारण दिनांक 6.5.2022 को हो जाने के बाद अपीलान्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गया तब भी अपीलाधीन आदेश के बारे में अपीलान्त को कोई जानकारी नहीं दी गई। जब अपीलान्त ने लगातार कार्यालय के चक्कर लगाये तो अपीलान्त को दिनांक 11.10.2022 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2018 की नकल दी गई। उक्त नकल प्राप्त होने के बाद अपीलान्त को शस्त्र अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 10.9.2018 की जानकारी हुई। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के अदालत हाजा में अन्दर मियाद अपील पेश की गई है जो कि जानकारी होने के दिनांक से अन्दर मियाद है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पृथक से संलग्न किया गया है। अपीलान्त द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराते समय जो शपथ पत्र दिया था वह शपथ पत्र महज शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ था जिसको अपीलान्त द्वारा नहीं भरा गया था। वरन् कोर्ट में मुंशी के द्वारा भरा गया था। जिस



संभागीय आयुक्त  
धौलपुर संभाग, भरतपुर

पर अपीलान्त द्वारा गौर नहीं किया गया था इसलिये प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने विरुद्ध अपराध को दर्ज नहीं करा सका था परन्तु अपीलान्त के विरुद्ध अपराध ऐसा भी नहीं था जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड हो इस प्रकार शपथ पत्र के आधार पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण आदेश दिया जाना अवैध है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.9.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 93/80 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिए जावें।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्त की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरुद्ध अदालत हाजा में दिनांक 20.10.2022 को अपील पेश की गई है। उक्त अपील मियाद बाहर पेश होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्त की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.10.2022 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में जाने पर होने के बाद अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया है। रैस्पोजेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्त को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रुख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। अतः इस आधार पर अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त की ओर से उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 93/80 का नवीनीकरण करवाए जाने हेतु अपीलान्त द्वारा दिनांक 26.12.2016 को आवेदन किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर को अपीलान्त के अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत किए जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 9893 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा 5 बिन्दु के बारे में रिपोर्ट चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 14.03.2017 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि अपीलान्त के



123  
26.12.2016  
संभारतीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भारतपुर

विरुद्ध मुकदमा नंबर 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आई.पी.सी में दर्ज हुआ है। जिसमें चार्जशीट नंबर 54 दिनांक 23.05.2015 को किताकर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। इस आधार पर अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट को आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत दिनांक 10.04.2017 को नोटिस जारी किया गया। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करें। अन्यथा उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र को आर्म्स एक्ट की धारा 17 (3) के तहत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। अपीलान्ट की ओर से उक्त नोटिस का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध आपसी रंजिश से प्रकरण दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा न तो कभी शस्त्र का दुरुपयोग किया है और न ही कोई इरादा है। एफ.आई.आर नंबर 147/15 में भी उक्त शस्त्र का कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी का अनुज्ञापत्र 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। नवीनीकरण की फीस जमा करा दी गई है तथा शस्त्र को भी संबंधित थाने में जमा करा दिया गया है। अतः प्रार्थी के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जावे।

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के संबंध में पुनः पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 23.06.2017 के द्वारा टिप्पणी मांगी गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र दिनांक 17.07.2018 के द्वारा उल्लेख किया कि आवेदक द्वारा शस्त्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध थाने में मुकदमा नंबर 147/15 दर्ज है। जिसमें चालान पेश किया जा चुका है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंषा की गई। इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 को पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्ट आवेदक के विरुद्ध मुकदमा नंबर 147/15 दर्ज होने व न्यायालय में चालान पेश किए जाने तथा शस्त्र अनुज्ञाधारक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त दर्ज अभियोग का इन्द्राज नहीं किया जाना अर्थात् आपराधिक तथ्यों को छिपाया जाना शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक के आचरण को संदिग्ध बनाने व संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं होने का उल्लेख करते हुए अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा शस्त्र के दुरुपयोग होने की संभावना को देखते हुए कानून एवं लोकशान्ति बनाए रखने हेतु आर्म्स एक्ट की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 93/80 को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, पुलिस अधीक्षक धौलपुर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने व न्यायिक मस्तिस्क का उपयोग करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि न्यायोचित है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि अपीलान्ट को उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर बरी कर दिया




10/8  
20/8/2018  
संभागीय आयुक्त  
धौलपुर संभाग, भरतपुर

है तो उक्त निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी जिला धौलपुर द्वारा दिनांक 06.05.2022 को पारित किया गया है, जो कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 के पश्चात पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा विद्वान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 में अपीलान्त की ओर से शपथ पत्र में गलत तथ्य दिए जाने के आधार पर अपीलान्त का आचरण संदिग्ध माना है। जिसके संबंध में अपीलान्त द्वारा केवल मात्र यह उल्लेख किया गया है कि शपथ पत्र कोर्ट में मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए अपीलान्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरण का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया जा सका। उक्त तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्त को शपथ पत्र में सही तथ्य अंकित करने के बाद ही नवीनीकरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से भी प्राप्त हुई दोनों रिपोर्टों में अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.08.2023 को सरे इजलास सुनाया

गया।

  
(साँवर मल कुमार)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर